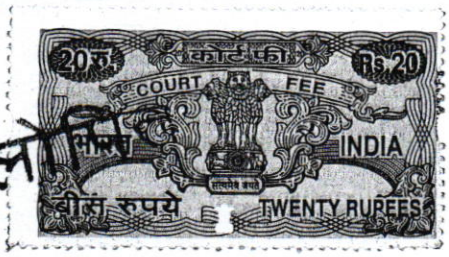

कोर्ट फीस COURT FEE INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

10/- टिकिट उपलब्ध होने पर चस्पा किया जावेगा

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. III/निग./दतिया/भ.रा./2018/1268

श्री ______ द्वारा आज दि० 12/02/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 12/2/18

श्रीमती मुन्नी अहिरवार पुत्री धनीराम अहिरवार, पत्नी धनीराम अहिरवार, निवासी – ग्राम रेडा, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

............आवेदिका

बनाम

1– विशुन अहिरवार पुत्री बुददे अहिरवार

2– श्रीमती कलावाती अहिरवार पत्नी परमानंद

3– कैलाश अहिरवार पुत्र परमानंद अहिरवार

4– ग्यादीन पुत्र परमानंद अहिरवार
निवासीगण – ग्राम रेडा, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
12/02/18

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र. 05/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

–: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, ग्राम रेडा, तहसील व जिला दतिया में स्थित भूमि सर्वे क्र. 95 रकवा 0.194 हैक्टयर , सर्वे क. 96 रकवा 0.206 हैक्टयर, सर्वे क. 441 रकवा 0.340 हैक्टयर है जिसके सह भूमिस्वामी धनीराम, विशुन, परमानंद पुत्रगण बुददें थे। तीनों भाई उक्त विवादित भूमि के 1/3, 1/3, 1/3 भाग के स्वामी हैं संम्पूर्ण भूमि 1.73 हैक्टयर में से हिस्सा 1/3 के हिसाब से 57,57,57,आरे के मालिक हैं।

खानदानी सिजरा इस प्रकार है

(17)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / निग0 / दतिया / भू.रा. / 2018 / 1268

श्रीमती मुन्नी अहिरवार विरूद्ध विशुन अहिरवार

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-03-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री लाखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालयीन प्रकरण प्र0क्र0 05 / 16–17 / अपील में पारित आदेश दिनांक 27.12.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । 3/ प्रकरण में आवेदक द्वारा वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया जाकर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया। 4/ प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 27.12.17 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने एवं परिशीलन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु धारा 5 अवधि विधान का आवेदन निरस्त करने का है।	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपस्थित बाद के संबंध में विस्तृत एवं सारवान विवेचना प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27.12.2017 में की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश में की गयी सारवान एवं आधारभूत विस्तृत विवेचना को यहां इस आदेश में दुहराया जाकर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उस पर विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य